संख्या - क0नि0-5-3420/11-2000-500

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) उत्तर प्रदेश |
3- समस्त उप / सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश |
4- समस्त उपनिबंधक, उत्तर प्रदेश |

कर एवं निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 10-08-2000

विषय- ईसाई समुदाय के चर्च कब्रिस्तान आदि की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेख की रजिस्ट्री के संबंध में |

महोदय,

रिट याचिका संख्या - 1523(एम0बी0)/2000 चर्च आफ इण्डिया आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 7-4-2000 को अपने निर्णय में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को याचीगणों के प्रत्यावेदन को प्राप्त करके उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है | चर्च आफ इण्डिया एवं अरूणकुमार डीन ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 19-4-2000 में यह अनुरोध किया है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2 एवं 3 चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1980 लैण्ड रिकार्ड मैनुअल तथा नजूल मैनुअल के अन्तर्गत क्रिश्चियन मशिनरियों चर्च / गिरजाघरों कब्रिस्तानों एवं इस आशय की नजूल दर्ज जमीनी की किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचने खरीदने बंधक करने तथा पट्टा करने का अधिकार नही है और न ही ऐसी सम्पत्तियों के स्वरूप सम्पत्तियों के स्वरूप को संबंधित जिलाधिकारी की पुर्वानुमति के बिना बदला ही जा सकता है |

2-इस संबंध में आपसे यह कहने का निदेश मिला है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानों का अध्ययन कर ले एवं जिस प्रकार के हस्तान्तरण नियंत्रण किये गये है अथवा जिनके लिए जिलाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक हो उस प्रकार के हस्तान्तरण के विलेख बिना समुचित अनुमति के आदेश प्रस्तुत किये रजिस्ट्री के लिए ग्रहण न करें |

3-कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें |

भवदीय
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या- क0नि0-5/11-2000'-500(डब्लू-118)/2000 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त ,उत्तर प्रदेश।

3- महानिरीक्षक निबंधन ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

टी0 जार्ज जोसेफ

प्रमुख सचिव।